छात्रवृति योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क0 सं0	योजना का नाम	संख्या	दर	न्यूनतम अर्हता	स्वीकृत अधिकारी
1	केन्द्रीय योजनान्तर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के बच्चों की योग्यता छात्रवृति	50	गैर छात्रावासी छात्रों को रू0 50/ तथा छात्रावासी छा्त्रों को 75/ प्रतिमाह प्रदान की जाती है	प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक वेतनक्रम तक के शिक्षकों, जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 25 हजार है के बच्चों को यह छात्रवृति प्रदान की जाती है।	जि0वि0नि0 के माध्यम से शिक्षा निदेशालय स्तर पर
2	राष्ट्रीय छात्रवृति योजना	300	गैर छात्रावासी छात्रों को रू0 60/ तथा छात्रावासी छा्त्रों को 100/ प्रतिमाह प्रदान की जाती है अविभावक की आय 25000/ से अधिक होने पर रू0 100/ का एक मुश्त पुरस्कार दिया जाता है।	हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठताक्रम में निर्धारित मेरिट के आधार पर अर्ह पाये जाने पर यह छात्रवृति प्रदान की जाती है।	जि0वि0नि0 के माध्यम से शिक्षा निदेशालय स्तर पर
3	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं और छात्रवृति	स्व0सं0 सै0 के आश्रितों की सं0 के आधार पर	कक्षा 6–8 तक रू08/, हाई स्कूल स्तर पर रू0 15/ तथा इण्टर स्तर पर रू0 25 प्रतिमाह देय होगी	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी या उनकी पत्नी या आश्रित माता पिता या विधवा/अविवाहित पुत्रियों पुत्रों और आश्रित बहिनों को इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता अनुमन्य है। छात्र/छात्रा को विगत परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक
4	राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति	प्रति कक्षा 1	पूर्व मध्यमा में रू010/ प्रतिमाह उत्तर मध्यमा में रू016/ शास्त्री में रू0 30 एवं आचार्य में रू0 40/ प्रतिमाह देय है।	छात्र छात्राओं को वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की प्रथमा, पूर्व माध्यमा तथा शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कराना अनिवार्य है।	संस्था के माध्यम से उप निदेशक संस्कृत
		प्रति जनपद 1	उक्तवत्	प्रत्येक जिले में एक छात्रवृति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कक्षा 9 में उस छात्र/छात्रा को प्रदान की जाती है जो संस्कृत विषय सहित कक्षा 8 की परीक्षा 45 प्रतिशत अंको सहित उत्तीर्ण कर आगे संस्कृत का अध्ययन चालू रखें कक्षोन्नति पाते रहने पर यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 तक चलती है।	जिला विद्यालय निरीक्षक
5	देश के चुने उ0मा0वि0 में पढ़ने वाले प्रतिभावान बालक एवं बालिकाओं को विशेष छात्रवृतियां देना	02 विद्यालय	विद्युत जलकर भवन किराया आदि 1000/–प्रतिमाह ट्यटर प्रति विद्या0 03 हेतु 150 प्रतिमाह प्रसांगिक व्यय 4800/प्रतिवर्ष दी जाती है।	एकीकृत परीक्षा में सूची क एवं ख में चयनित अभ्यर्थियों को आवासीय विद्यालय व्यवस्था है।	
6	माध्यमि स्तर (कक्षा 9–12)पर अतिरिक्त छात्रवृतियों की व्यवस्था		एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में यह छात्रवृत्ति एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभियर्थियों को दी जाती थी		
5	अवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 7–8 पर अतिरिक्त छात्रवृति की व्यवस्था	प्रति कक्षा 1	रू0 5/ प्रतिमाह	संस्था के प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर छात्र/छात्रा की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वरीयतानुसार यह छात्रवृति प्रदान की जाती है।	संस्था के प्रधान के माध्यम से जि0वि0नि0
8	ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के कक्षा 9–10 प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृतियां		एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में यह छात्रवृत्ति एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण		

			होने वाले अभियर्थियों को दी जाती थी		
6	प्रत्यक माध्यमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त हाई स्कूल छात्रवृति की व्यवस्था	प्रति कक्षा 1	कक्षा 9–10 में रू0 15/– तथा कक्षा 11–12 में रू0 16 प्रतिमाह	शिक्षा संहिता 277 के अन्तर्गत प्रत्येक शासकीय/अशासकीय विद्यालय हाई स्कूल/ इण्टर स्तर के 2 छात्र/छात्राओं की योग्यता आर्थिक स्थिति के आधार पर यह छात्रवृति प्रदान की जाती है।	संस्था के प्रधान के माध्यम से जि0वि0नि0
7	माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल तथा इण्टर परीक्षा में प्राप्त 10 स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को शैक्षिक सुविधा	मैरिट लिस्ट के आधार पर	अतिरिक्त विशेष सम्मानार्थ	मा0शि0 परिषद के वरीयता क्रम में 10 मेधावी छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति तथा उनसे सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को चल वैजयन्ती प्रदान की जाती है।	निदेशालय स्तर से
8	एकीकृत छात्रवृति				
	सूची क	सूची के अनुसार	गैर छात्रावासी रू0 50/ छात्रावासी को 100/ प्रतिमाह	जूनियर हाई स्कूल परीक्षा 50 प्रति0 अंकों के साथ उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को एकीकृत परीक्षा में योग्यता क्रम में प्रथम 15 स्थान प्राप्त करना अनिवार्य है तथा हाई स्कूल में 70 प्रति0अंक पाने पर ही कक्षा 11 एवं 12 में छात्रवृति पाने के अधिकारी होंगे	संस्था के प्रधान के माध्यम से जि0वि0नि0
	सूची ख	सूची के अनुसार	छात्रावासी को रू0 100 तथा गैर छात्रावासी को रू0 30/ प्रतिमाह तथा शिक्षा शुल्क प्रतिछात्र जो भी हो।	एकीकृत क सूची की छात्रवृति स्वीकृति करने के पश्चात शेष चयनित छात्रों में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ब्लाक के सर्वोच्च अंक पाने वाले प्रथम 5 छात्र/छात्राओ तथा जनजाति ब्लाक में 2 छात्रों को प्रदान की जायेगी।	संस्था के प्रधान के माध्यम से जि0वि0नि0
	सूची ग	सूची के अनुसार	15/ रूपये प्रतिमाह	एकीकृत क एवं ख सूची की छात्रवृति स्वीकृत करने के पश्चात शेष उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृति प्रदान की जाती है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जूनियर हाईस्कूल में न्यूनतम 50 प्रति0 अंक पाना तथा अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होना अनिवार्य है।	संस्था के प्रधान के माध्यम से जि0वि0नि0
9	विद्यालयों में कक्षा 7–12 के छात्रों को विशेष छात्रवृति	प्रति कक्षा 1	कक्षा 7–8, 9–10 एवं 11–12 में क्रमसः रू0 5/, 10/, एवं रू0 16 प्रतिमाह देय होगा।	यह छात्रवृति सीमान्त जनपदों में अध्ययनरत छात्रों को देय होगी। (चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं उत्तरकाशी)	जिला विद्यालय निरीक्षक
10	जूनियर योग्यता छात्रवृति	पूर्ववत निर्धारित मानक के अनुसार	कक्षा 6 से 8 तक तीन वर्षो के लिए रू0 15/– प्रतिमाह देय है।	छात्र छात्राओं का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ली जाने वाली जनपद स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
11	खेल छात्रवृत्ति	स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या पर	राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान–500 राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान–400 राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान–300 दर प्रतिमाह 12 माह तक	राष्ट्रीय स्तर खेलों में प्रतिभाग करने वाले उद्यीमान खिलाड़ियों के प्रतिभाग करने पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को 12 माह तक देय होगी छात्रवृति उसी वर्ष देय होगी जिस वर्ष छात्र/छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्राप्त किया है।	शिक्षा निदेशालय द्वारा

12	आर0आई0एम0सी0 छात्रवृत्ति	आर0आई0एम0सी0 में उत्तरांचल मूल के अध्ययनरत छात्रों की सं0	रू0 1000/- प्रतिमाह की दर से	आर0आई0एम0सी0 में उत्तरांचल मूल के अध्ययनरत छात्र	आर0आई0एम0सी की संस्तुति पर निदेशक द्वारा
13	जूनियर योग्यता छात्रवृति	4000	15/- प्रतिमाह	जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कक्षा 6 में परीक्षा का आयोजन कर छात्रों का मैरिट के आधार पर चयन किया जाता है	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
14	डा0 शिवानन्द छात्रवृत्ति	11	रू0 250/- प्रतिमाह	मण्डल में कक्षा-8 की मेरिट के आधार पर चयप	मण्डल कार्यालय
15	तेजस्वी योजना	निर्धारित नहीं	रू0 1000/- कक्षा-9 के लिए, एक मुश्त रू0 2000/- कक्षा-10 के लिए, एक मुश्त	बी0पी0एल0 परिवारों की बालिकाओं के लिए	निदेशालय स्तर से